

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक / प्रबन्ध /

/ 2020-21 दिनांक: २५/३/२०२१

(कार्यालय-आदेश)

कार्यालय पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/18946-48/2016-17 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मन्दिर डी-ब्लॉक शास्त्रीनगर, मेरठ को नर्सरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र-2017-18 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 23.03.2021 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्रविधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/18946-48/2016-17 दिनांक 27.03.2017 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(सतेन्द्र कुमार)


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ०सं०/प्रबन्ध/ ७४३१-३४

/ 2020-21 दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मन्दिर डी-ब्लॉक शास्त्रीनगर, मेरठ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

(1)

कल्याण नगर, मेरठ

ई-मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नम्बर 0121-2703911

फैक्स नम्बर 0121-2703911

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक-प्रबन्ध / मान्यता / १८९४६ - ५४

/ 2016-17 दिनांक: - ५७ / ०३ / १७

प्रबन्धक

बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मन्दिर, डी-ब्लॉक,
शास्त्रीनगर, मेरठ

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,
मैं बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मन्दिर, डी-ब्लॉक, शास्त्रीनगर, मेरठ को शैक्षिक सत्र 2017-18 से शैक्षिक
सत्र 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम
मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बायता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-नियम 2010 (उपांध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कौपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

- VI अध्यापकों की गति विभिन्नता की समझ 26(1) के अन्तर्गत एक विभिन्नता अध्यापक विभाग बनाकर उसके द्वारा विभिन्नता की गति की विधियां के लिए विभिन्नता अध्यापक विभाग बनाया जाना चाहिए।
- VII अध्यापक विभिन्नता की समझ 26(1) के अन्तर्गत विभिन्नता अध्यापक विभाग बनाया जाना चाहिए।
- VIII अध्यापक रामय को किसी विभिन्नता अध्यापक विभाग में विभाग बनाया जाना चाहिए।
- १ विद्यालय शासुचित प्राचिकारी वार्ष अधिकारियत विभागों के बारे में विवरण देना चाहिए।
- २ विद्यालय विभिन्नता की समझ 19 में अधिकारियत विभाग के बारे में विवरण देना चाहिए। विभिन्नता के समग्र विभिन्नता की गति प्रयुक्तियां विवरण देना चाहिए।
- विद्यालय परिसर का विवरण :-
 - कुल विभिन्नता गोपनीय :-
 - कीड़ा रखल का विवरण :-
 - कश्याली की रखली :- 10
 - प्राचापक राह कार्यालय-राह गड़ापार के लिए कम :- है
 - वालक और वालिकाओं के लिए पुष्टक शौचालय :- है
 - प्रेगजल सुविधा :- है
 - गिड़-डे गील पकाने के लिए रसोई :- है
 - वातारणित पहुंच :- है
 - अध्यापक पाठ्य रामगी/कीड़ा खेलफूट उपरकर्ता/फुटबॉल की विवरण :-
- ३ विद्यालय के परिसरों के गोतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम में कोई ऐसा नाम नहीं रखायी जायेगी।
- ४ विद्यालय घरनों या अथ रास्ताओं या कीड़ा-रखल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए विद्या जायेगा।
- ५ विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 - (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी संसदीय
- ६ द्वारा या उत्तमय प्रत्युत्तम विभिन्नता के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- ७ छूट की किसी व्यापेत व्यापेतीयों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं व्यवहार किया जायेगा।
- ८ विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार रेगार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लखा विवरण की एक पारी प्रत्येक वर्ष विद्या विभाग शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- ९ एक ऐसे प्रत्येक वर्ष विद्या विभाग शिक्षा अधिकारी को इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के अधिक विद्यालय को आवरित मान्यता दें।
- १० सभ्य किसी प्रधानार के लिए इस संस्थाका का उल्लेख करें।
- ११ विद्यालय ऐसे विभिन्नता और सूचना प्रस्तुत करें जो समय-रामय पर शिक्षा विदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रोत्तिष्ठित हो और सम्पूर्ण सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो

मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथा संज्ञान में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

Han
(मौ० इकावाल)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ०सं०/प्रबन्ध/मान्यता/

प्रतिलिपि:- निमांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (वैसिक) निशात गंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (वैसिक) शिक्षा सामान्य अनुभाग-2, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मेरठ।

/2016-17 दिनांक:-तदैव।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।